उत्तर प्रदेश शासन
मत्स्य उत्पादन अनुभाग
संख्या- 19/2022/ 384 /सत्रह-म-2022-5(1)/94 टी0सी0-।
लखनऊ दिनांक 07 जून, 2022

कार्यालय-आदेश

ज्येष्ठ मत्स्य निरीक्षक के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त तालिका के कालम संख्या-2 में अंकित निम्नलिखित अधिकारियों को लोक सेवा आयोग उ0प्र0,प्रयागराज के पत्र संख्या-29(।।।)/10/एस-2/पी/2021-22, दिनांक 01 अप्रैल,2022 द्वारा उपलब्ध करायी गयी चयन समिति की संस्तुति के आधार पर सहायक निदेशक मत्स्य, वेतन वैण्ड-3 रू0 15600-39100, ग्रेड पे 5400 (पुनरीक्षित मैट्रिक्स लेवल-10) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत करते हुए, उन्हें तालिका में कालम संख्या-4 में अंकित पद व स्थान पर एतदद्वारा तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम/ वर्तमान पद/तैनाती का स्थान (सर्वश्री /श्रीमती)	ज्येष्ठता क्रमांक	नवीन तैनाती का पद /स्थान	चयन वर्ष
1	2	3	4	5
1	राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, ज्येष्ठ मत्स्य निरीक्षक,कार्या0 उप निदेशक मत्स्य, झांसी।	05	सहायक निदेशक मत्स्य,फर्रूखाबाद।	2020-21
2	रवीन्द्र प्रसाद, ज्येष्ठ मत्स्य निरीक्षक, कार्या0 म0पा0वि0अभिकरण, वाराणसी।	06	सहायक निदेशक मत्स्य, गौतमबुद्व नगर।	2021-22
3	गिरीश चन्द्र, ज्येष्ठ मत्स्य निरीक्षक, कार्या0 म0पा0वि0 अभिकरण, गाजीपुर।	07	सहायक निदेशक मत्स्य, फतेहपुर।	2021-22
4	राजीव कुमार गुप्ता, ज्येष्ठ मत्स्य निरीक्षक, कार्या0 सहायक निदेशक मत्स्य, चन्दौली।	08	सहायक निदेशक मत्स्य, मीरजापुर।	2021-22
5	श्रीमती नीतू सिंह, ज्येष्ठ मत्स्य निरीक्षक, कार्या0 सहायक निदेशक मत्स्य,बुलन्द शहर।	10	सहायक निदेशक मत्स्य, अमरोहा।	2021-22
6	शिवकुमार, ज्येष्ठ मत्स्य निरीक्षक, कार्या0 म0पा0वि0 अभिकरण, मेरठ ।	11	सहायक निदेशक मत्स्य, बुलन्दशहर।	2021-22

2- उक्त नव पदोन्नत अधिकारी कार्यभार ग्रहण कर,कार्यभार–प्रमाणक शासन एवं निदेशक मत्स्य, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध करायेंगे।

3- उक्त पदोन्नत अधिकारियों को उत्तर प्रदेश मत्स्य पालन (राजपत्रित)सेवानियमावली 1993 यथा संशोधित 2001 तथा उ0 प्र0 सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली 2013 यथासंशोधित 2016 में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जाता है।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

4- उक्त पदोन्नत अधिकारियों के सेवा सम्बन्धी प्रकरण उत्तर प्रदेश मत्स्य पालन (राजपत्रित) सेवानियमावली 1993 यथा संशोधित एवं शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों से आच्छादित होंगे ।

राम सहाय यादव
विशेष सचिव।

संख्या- 19/2022/384(1)/सत्रह-म-2022 तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: –

(1) महालेखाकार,उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
(2) निदेशक मत्स्य, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(3) मण्डलायुक्त, कानपुर/ मेरठ/ प्रयागराज/ विन्ध्याचल/ मुरादाबाद ।
(4) जिलाधिकारी, फर्रूखाबाद/ गौतमबुद्वनगर,/ फतेहपुर/ मीरजापुर/ अमरोहा/ बुलन्दशहर।
(5) सचिव, लोक सेवा आयोग इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या-29 (।।।)/10/एस-2/पी/2021-2022 दिनांक 01 अप्रैल, 2022 के संदर्भ में सूचनार्थ।
(6) संयुक्त निदेशक,राजकीय मुद्रणालय इलाहाबाद को राजपत्रित गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
(7) सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी/अधिशासी निदेशक मत्स्य पालक विकास अभिकरण, उ0प्र0।
(8) सम्बन्धित उप निदेशक मत्स्य/सहायक निदेशक मत्स्य, उ0प्र0।
(9) मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, फर्रूखाबाद/ गौतमबुद्वनगर/ फतेहपुर/ मीरजापुर/ अमरोहा/ बुलन्दशहर।
(10) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम लि0 लखनऊ।
(11) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 मत्स्य जीवी सहकारी संघ लि0 लखनऊ।
(12) वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(13) सम्बंधित अधिकारीगण ।
(14) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर यादव)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।